मुख्यमंत्री ने औद्योगिक विकास विभाग की समीक्षा में कहा-उद्योग के लिए दी गई भूमि पर तीन वर्ष में काम न शुरू हो तो आवंटन रद्द करें

पांचवीं जीबीसी में होगा पांच लाख करोड़ निवेश:योगी

घोषणा

लखनऊ, विशेष संवाददाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पांच लाख करोड़ रुपये से अधिक की निजी निवेश परियोजनाओं के साथ 5वें ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कराई जाए। उन्होंने किसानों से भावात्मक संबंध बताते हुए कहा कि अधिग्रहण पर मुआवजा दर बढ़ाने पर विचार हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि औद्योगिक इकाइयों को आवंटित भूमि अगर तीन साल में उपयोग न आई तो आवंटन रद्द होगा।

मुख्यमंत्री ने गुरुवार को यह निर्देश औद्योगिक विकास विभाग की बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि अब तक 15 लाख करोड़ से अधिक की औद्योगिक परियोजनाएं धरातल पर उतर चुकी हैं और 60 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी एवं रोजगार की गारंटी मिली।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अपनी भूमि के साथ हर किसी का एक भावनात्मक संबंध होता है। यदि प्रदेश हित में उनकी भूमि का अधिग्रहण आवश्यक है तो उन्हें अच्छा मुआवजा मिलना चाहिए। कहीं से भी उत्पीड़न की शिकायत नहीं आनी चाहिए। संवाद और समन्वय से यह काम बड़ी आसानी से हो सकता है। सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरण अपने क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप भूमि अधिग्रहण के लिए वर्तमान मुआवजे की दर में बढ़ोतरी पर विचार करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी में से किसी एक क्षेत्र में फिनटेक हब विकसित किया जाए। बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में सरदार वल्लभभाई पटेल को समर्पित रोजगार जोन के विकास पर चर्चा की।

मुख्यमंत्री ने गुरुवार को औद्योगिक विकास विभाग के अधिकारियों के साथ विभागीय समीक्षा बैठक की।

15 लाख करोड़ से अधिक के निवेश साढ़े आठ वर्ष में धरातल पर उतरे

05 लाख करोड़ रुपये विनिर्माण क्षेत्र के लिए रखा है लक्ष्य

फैक्टरी न शुरू होने पर दूसरे को आवंटित करें भूमि

मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि भूमि आवंटन के उपरांत भूमि का समुचित उपयोग न करने वाली औद्योगिक इकाइयों के लिए भूमि आवंटन अधिकतम तीन वर्षों के बाद रद कर दिया जाए। वह भूमि अन्य निवेशक को आवंटित किया जाना चाहिए। उन्होंने निवेश मित्र और निवेश सारथी पोर्टलों को और अधिक सहज व सरल बनाने की आवश्यकता बताई। कहा कि निवेशक छोटा हो या बड़ा, कार्यालयों के चक्कर किसी को भी न लगाना पड़े।

जीएसटी में अब तक का सबसे बड़ा रिफॉर्म : सीएम

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जीएसटी दरों में कमी से महंगाई से राहत और व्यापार को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जुलाई 2017 में जीएसटी लागू होने से पहले देश में अलग-अलग कर लागू थे, जिनमें वैट, सेल टैक्स, सेवा कर, उत्पाद शुल्क, एंट्री टैक्स और मनोरंजन कर जैसे जटिल कर उपभोक्ताओं और कारोबारियों पर भारी पड़ते थे।

जीएसटी ने इन्हें समाहित कर देश को वन नेशन, वन टैक्स की व्यवस्था दी। अब जीएसटी में सबसे बड़ा सुधार किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर लगने वाला जीएसटी पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा दवाइयों, ऑक्सीजन और जांच किट पर भी टैक्स घटाया गया है। इससे इलाज सस्ता होगा और हर सामान्य नागरिक को राहत मिलेगी। सरकार ने वाहनों की खरीद-फरोख्त पर भी राहत दी है। पहले कार और बाइक पर 28 फीसदी जीएसटी लगता था, अब इसे घटाकर 18 फीसदी कर दिया गया है यानी सीधे 10 फीसदी की कटौती। मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यापार में आसानी (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) के लिए टैक्स रजिस्ट्रेशन ऑटो-अप्रूव कर दिया गया है। टैक्स रिफंड की प्रक्रिया भी तेज की गई है। साथ ही रिस्क-आधारित कंप्लायंस और श्रम सुधार भी लागू किए गए हैं।

मुख्यमंत्री आज ग्रेनो में

ग्रेटर नोएडा। मुख्यमंत्री योगी शुक्रवार को ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित होने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड की तैयारियां परखेंगे। वह अफसरों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। एक्सपो मार्ट में 25 से 29 सितंबर तक यूपी इंटरनेशनल ट्रेड का आयोजन होगा।